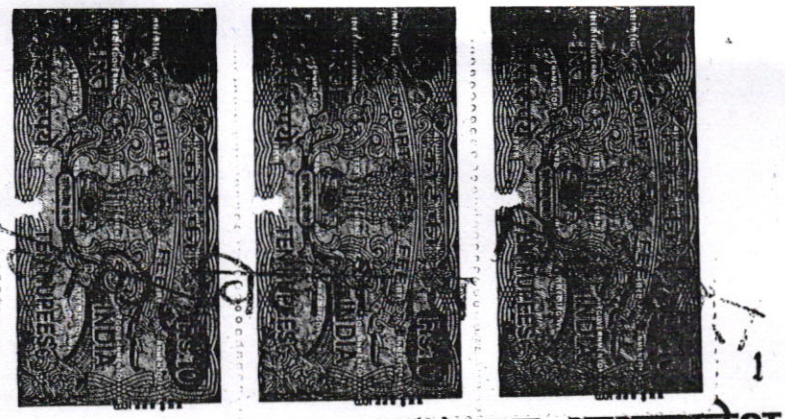

न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश

R 194-I-17

प्रकरण क्रमांक /I/2017/निगरानी

बालाराम पुत्र श्री मुंशीलाल रघुबंशी व्यवसाय-कृषि, निवासी-ग्राम बनियाढाना तहसील सिरोंज जिला विदिशा म.प्र.

.....आवेदक

श्री विनोद हीवास्तव द्वारा आज दि. 12-1-2017 को प्रस्तुत

बनाम

1. भीकम सिंह पुत्र निरपत सिंह रघुबंशी
2. नेतराम सिंह पुत्र निरपत सिंह रघुवंशी समस्त निवासीगण-ग्राम बनियाढाना तहसील सिरोंज जिला विदिशा म.प्र. .....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50(1) म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959 न्यायालय नायब तहसीलदार मण्डल-5 सिरोंज जिला विदिशा म.प्र. प्रकरण क्रमांक 06/A-6/2016-17 द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.12.2016 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत है।

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्नानुसार है :-

1. यहकि, अनावेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 109, 110 म.प्र.भू-राजस्व संहिता प्रस्तुत किया कि ग्राम बनियाढ़ाना तहसील सिरोंज स्थित कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 21 रकवा 1.998 हैक्टे. एवं सर्वे क्रमांक 199 रकवा 0.139 हैक्टे. भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेखों में बालाराम पुत्र मुंशीलाल

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – निगरानी–194–एक/17 **जिला** – विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07.02.18	प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा–109, 110 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम बनियाढाना तह. सिरोंज स्थित भूमि सर्वे क. 21 रकवा 1.998 हे. एवं सर्वे क. 119 रकवा 0.139 हे. का नामांतरण किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर नायब तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 05.09.2016 द्वारा नामांतरण किया गया। नायब तहसीलदार के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 2/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैधानिक है । अधीनस्थ न्यायालय में अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा जयशंकर मंदिर की बैठक में जाने हेतु समय चाहा गया तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया जो सही नहीं है क्योंकि उक्त कारण पर्याप्त कारण नहीं है । जिस समय समय दिया गया उस समय 2.25 मिनिट हुये थे और अनावेदक अभि. चाहते तो उसी दिन साक्षी सौभाग्य सिंह का प्रतिपरीक्षण किया जा सकता था । 3/ अनावेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि उनके अधिवक्ता को आवश्यक कार्य से जाना था इस कारण अधीनस्थ न्यायालय ने साक्षी के कथन हेतु समय दिए जाने में कोई त्रुटि नहीं की है । यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करने से प्रकरण कै निराकरण में अनावश्यक विलंब हो रहा है। 4/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया तथा आलोच्य आदेश का परिशीलन किया । आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि नायब तहसीलदार ने जिस आधार पर साक्षी के कथन नहीं लिए जाने का उल्लेख अपने आदेश में किया है, वह न्यायिक नहीं है । परंतु आवेदक	

XXXIX(a)-BR(H)-11

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करना भी उचित प्रतीत नहीं होता है । क्योंकि नायब तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में दिनांक 20–1–17 की तिथि नियत की गई थी जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत कर दिए जाने से प्रकरण में अनावश्यक विलंब हुआ है । दर्शित परिस्थिति में नायब तहसीलदार को निर्देश दिए जाते हैं कि वे उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देकर प्रकरण का निराकरण 3 माह में करें । निगरानी निरस्त की जाती है। **(एम. गोपाल रेड्डी)** **प्रशासकीय सदस्य** **राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,** **ग्वालियर**	